न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 28 / 19 तारीख रजू:– 3.6.2019

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

गुलवती पुत्री जलधारी पत्नि धर्मसिंह मीना निवासी सिधनिया तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल निवासी औण्ड मीना तहसील महवा जिला दौसा।

(सायला)

बनाम

1. जलधारी पुत्र श्योजी मीना निवासी सिधनिया तहसील टोडाभीम जिला करौली।
2. गिलासी देवी पुत्री जलधारी निवासी सिधनिया तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल निवासी औण्ड मीना तहसील महवा जिला दौसा।
3. सब रजिस्ट्रार बालघाट तहसील टोडाभीम जिला करौली।
4. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(गैर सायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट प्राथीया

श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट अप्रार्थीगण 1 व 2

निर्णय दिनांकः– 13.02.2020

उपजिला कलेक्टर (करौली)

सायला की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पेश किया है कि खाता संख्या 83 सम्वत 2074–77 की आराजी ख0न0 813/0.28, 814/0.80, 815/1.23, 815/1508/0.17, 816/0.01, 817/0.50, 818/1462/0.08, 820/1476/0.29, 962/0.20, 962/1476/0.10, 980/0.77, 981/0.55, 982/0.25, कुल किता 13 कुल रकवा 5.23 है0 ग्राम सिधनिया मे गैरसायल न0 2 बहिस्सा 1/6 की खातेदार है। पहले उक्त हिस्से का गैरसायल न0 1 खातेदार था। खाता सख्या 84 सम्वत 2074–77 की आराजी ख0न0 13/0.13, 20/0.15, 30/0.05, 31/0.09, 52/0.18, 57/0.04, 151/0.18, 188/0.10, 194/0.05, 208/0.03, 218/0.13, 224/0.01, 374/0.09, 377/0.13, 387/0.09, 388/0.19, 393/0.10, 394/0.11, 395/0.05, 408/0.13, 463/0.29, 507/0.08, 508/0.17, 509/0.03, 510/0.11, 511/0.07, 512/0.09, 513/0.15, 550/0.09, 555/0.20, 574/0.22, 575/0.16, 592/0.42, 630/0.13, 631/0.14, 681/0.09, 777/0.06, 992/1514/0.06, 1019/0.33, 1020/0.44, 1061/0.31, 1071/0.13, 1084/0.25, 1085/0.19, 1086/0.20, 1095/0.43, 1096/0.42, 1097/0.32, 1101/0.41, 1102/0.26, 1103/0.31, 1104/0.40, 1111/0.24, 1112/0.21, 1118/0.65, 1122/0.01, 1123/0.75, 1125/0.31, 1156/0.43, 1157/0.77, 1158/0.38, 1166/0.18, 1167/0.21, 1191/0.37, 1192/0.86, 1199/0.31, 1200/0.40, 1207/0.32, 1208/0.24, 1209/0.49, 1213/0.18, 1214/0.15, 1215/0.38, कुल किता 73 कुल रकवा 16.83 है0 ग्राम सिधनिया मे स्थित है ख0न0 52, 374, 387, 388, 394, 395, 574, 592, 1061, 1103, 1122, 1156, 1158, 1200 को छोडकर कुल किता 58 कुल रकवा 13.48 है0 मे वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे गैरसायल न0 2 बहिस्सा 1/6 खातेदार काश्तकार है। पूर्व मे उक्त हिस्सा गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज था। खाता सख्या 57 सम्वत 2074–77 की आराजी

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

0 1216/0.27, 1222/0.41, 1223/0.32, 1224/0.33, 1225/0.36, 1226/0.43 कुल
6 कुल रकवा 2.12 है0 ग्राम सिधनिया मे गैरसायल न0 2 बहिस्सा 1/6 की खातेदार है।
उक्त हिस्से का गैरसायल न0 1 खातेदार था। खाता संख्या 80 सम्वत 2074–77 आराजी
0 80/0.04, 82/0.07, कुल किता 2 कुल रकवा 0.11 है0 खाता संख्या 81 की आराजी
0 576/0.91, 750/1.17, 1098/0.32, 1099/0.44, 1100/0.35, 1124/0.34, 1129/0.
कुल किता 7 कुल रकवा 3.88 है0, खाता संख्या 82 की आराजी ख0न0 90/0.47, 444/0.
445/0.20, 554/0.20, 556/0.09, 557/0.33, 667/0.31, 668/0.24, 1058/0.63,
9/0.52, 1060/0.32 कुल किता 11 कुल रकवा 3.61 है0, ग्राम सिधनिया मे गैरसायल न0
हिस्सा 1/6 की खातेदार है। पहले उक्त हिस्से का गैरसायल न0 1 खातेदार था। खाता
ख्या 115 की आराजी ख0न0 1364/0.55, 1366/0.42, 1367/0.44, 1368/0.32, 1369/0.
1370/0.30, 1384/0.17, 1385/0.05, 1387/0.01, 1388/0.18, 1389/0.07, 1390/0.
1399/0.65, 1404/0.14, 1406/0.21, 1406/1438/0.06, 1407/0.64, 1408/0.32,
10/0.08, 1413/0.15, 1414/0.28, 1426/0.71, 1427/0.55, 1429/0.46, 1430/0.23,
31/0.30, 1432/0.30, 1433/0.46, 1434/0.29, 1435/0.34, 1436/0.22, 1437/0.30
ल किता 32 कुल रकवा 9.97 है0 मे गैरसायल न0 2 बहिस्सा 1/18 की खातेदार है पूर्व मे
क्त हिस्से का गैरसायल न0 1 खातेदार था। खाता संख्या 162 सम्वत 2074–2077 मे वर्णित
राजीयात ख0न0 162 की आराजीयात ख0न0 110/0.05, 111/0.04, 112/0.09, 113/0.
3, 114/0.35, 137/0.04, 156/1525/0.03, 806/0.44, 806/1509/0.08, 807/0.20,
08/0.29, 809/0.40, 810/0.01, 811/0.16, 812/0.29, 965/0.49, 976/0.12, 977/0.
3, 978/0.25, 979/0.15, 1339/0.57, 1362/0.49, 1378/0.28, 1379/0.12, 1381/0.14,
382/0.26 कुल किता 26 कुल रकवा 5.75 है0 ग्राम सिधनिया मे गैरसायल न0 2 हिस्सा
/16 का खातेदार काश्तकार है पूर्व मे उक्त हिस्से का गैरसायल न0 1 खातेदार था। खाता
संख्या 163 की आराजी ख0न0 514/0.26, 515/0.16, 516/0.08, 517/0.28, 518/0.15,
520/1494/0.18, 521/1495/0.18, 521/1495/0.15 कुल किता 7 कुल रकवा 1.26 है0
ग्राम सिधनिया मे गैरसायल न0 2 बहिस्सा 1/12 की खातेदार है। पूर्व मे उक्त हिस्सा
गैरसायल न0 1 के नाम था।

उक्त ख0न0 भू–प्रबन्ध विभाग ने साबिक ख0न0 398 रकवा 3 बीधा 1 बिस्वा, 405 मिन, 406, 407, 408, 400, 401, 6/674, 6/681, 6/691, 52, 57, 84, 96, 102, 115, 125, 131, 186 मिन, 287, 190 मिन, 189 मिन, 190, 211, 223, 224, 255, 256, 276, 521, 246, 314, 315, 298, 297, 368, 378, 506, 507, 570, 573, 609, 622, 616, 617, 618, 595, 573, 528, 529, 518, 525, 579, 578, 586, 594, 615, 624, 625, 249, 250, 339, 622, 617, 573, 566, 28, 213, 520, 521, 368, 569, 570, 499, 500, 501, 663/1, 664, 665, 666/1, 666, 81, 82, 85, 397, 399, 404, 402, 414, 493, 495, 497, 496, 495/2, 258, 258/1 से बनाये है।

उक्त समस्त आराजीयात सायला के बाबा श्योजी पुत्र केशूराम मीना के नाम रही है। जो जमाबन्दी सम्वत 2009 – 2012, 2034–2037 से साबित है। श्योजी की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात अमरपाल, जलधारी, किरोडी, पुत्र एवं मु0 जल्लो पुत्री के नाम नाम आयी। अमरपाल की मृत्यु के बाद उनके पुत्र भरतलाल, रमनलाल के नाम आयी है जलधारी के कोई पुत्र नही है दो पुत्री सायला तथा गैरसायला न0 2 है। उक्त आराजीयात मे सायला बहिस्सा 1/3 की खातेदार काश्तकार है। 1/3 हिस्से गैर सायला न0 2 तथा 1/3 हिस्से का गैरसायल न0 1 खातेदार काश्तकार है। गैरसायल न0 2 चतुर व महत्वाकाक्षी महिला है जिसने गैरसायल न0 1 को अपने जाल मे फसाकर एवं कुछ आसामाजिक व्यक्तियो के बहकावे मे आकर गैरसायल न0 1 को मुगालता देकर उसकी वृद्वावस्था का फायदा उठाकर, समस्त आराजीयात जो गैरसायल न0 1 की खातेदारी मे है को दिनांक 2.01.2019 को दानपत्र अपने नाम करवा कर सम्पूर्ण आराजी अपने नाम करवा ली जो सायला के 1/3 हिस्से तक शून्य प्रभावी है क्योकि उक्त आराजी पैतृक है विधि के अनुसार दानपत्र नही किया जा सकता है। इसलिये भी दानपत्र प्रारम्भ

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

[illegible] है सायला 1/3 की खातेदार एवं काबिज आराजी है। बॉका दिनांक 20.4.19 को [illegible] है कि सायला अपनी आराजी [illegible] गैरसायला न0 2 ने [illegible] आराजी [illegible] गैरसायला न0 2 अपनी [illegible] सायला की अपूर्णीय क्षति होगी प्राईमाफेशी केश सायला के पक्ष मे है सुविधा का सन्तुलन भी सायला के पक्ष मे है। इस कारण से दावा एव प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित समस्त आराजीयात मे गैरसायल न0 2 का हिस्सा हजफ किया जाकर सायला बहिस्सा 1/36 गैरसायला न0 2 बहिस्सा 1/24 की खातेदार काश्तकार घोषित फरमाई जावे सायला के हिस्से व कब्जे की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करने आराजी को रहनबय नही करने एवं मौके एव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये गैरसायलान को तादावा फैसला पाबन्द फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल न0 3 व 4 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल न0 1 व 2 की और से जरिये वकील जबाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित की गई आराजीयात मे गैरसायल न0 2 गिलासी देवी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इनको यह आराजी रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 02.01.2019 से प्राप्त हुई है। दानपत्र के आधार पर नामांतकरण सख्या 428 दिनांक 5.1.19 तस्दीक होकर जमाबन्दी मे अमल हो चुका है। गैरसायल न0 2 की आराजी से सायला का कोई संबध नही है। नाही सायला का किसी भूमि पर कब्जा है बल्कि गैरसायला न0 2 का कब्जा है गैरसायला न0 2 अपने परिवार के साथ ग्राम सिधनिया मे ही रहती है। बॉका दिनांक 20.4.19 को कोई घटना नही हुई है। सीधी साधी ग्रामीण महिला है अपने परिवार सहित ग्राम सिधनिया मे रहकर अपनी खातेदारी भूमि को काश्त कर रही है। गैरसायल न0 1 जलधारी ने पूर्ण होश हवास मे ही भूमि का दानपत्र गैरसायल न0 2 के हक मे कराया है। रजिस्टर्ड दानपत्र को सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। राजस्व कोर्ट दानपत्र निरस्त या प्रभावहीन शून्य घोषित नही कर सकता है। अर्थात सिविल कोर्ट को ही सुनवाई का श्रेत्राधिकार है इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत खारिज होने योग्य है। यह भी कि सायला एवं गैरसायलान मीना जाति से है इसलिये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 के अनुसार अनुसूचित जन जाति पर लागू नही है। गैरसायला न0 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। काबिज आराजी है। सायला का प्राईमाफेशी केश साबित नही है नाहि सुविधा का संतुलन सायला के पक्ष मे है नाहि सायला को कोई क्षति है। अतः सायला द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। सायला के वकील ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे वर्णित तथ्यो को दोहराया, घोषणा खातेदारी का दावा प्रस्तुत किया गया है समस्त आराजीयात पैतृक है। जलधारी जीवीत है, जलधारी के कोई पुत्र नही है तथा दो पुत्रीया सायला एवं गैरसायला न0 2 है। जलधारी के हिस्से की खातेदारी मे 1/3 हिस्से की सायला खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। दावा के निस्तारण होने तक गैरसायलान को आराजीयात के विक्रय व रहन नही करने हेतु पाबन्द फरमाया जावे। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत खातेदारी कराने की हकदार है। आर.आर.डी. 2014 पृष्ठ 13 के अनुसार जनजातिय प्रदाय के पुत्र नही है तो पुत्रीया उत्तराधिकारी सम्पत्ति मे विरासत प्राप्त कर सकती है। दानपत्र को निरस्त नही करवा रहा हूँ मेरा दावा तो घोषणा खातेदारी का है जो राजस्व न्यायालय मे सुनवाई के क्षेत्राधिकार मे है। गैरसायलान को दावा के निस्तारण तक पाबन्द फरमाया जावे कि उक्त आराजीयात का रहन व्यय नही करे। गैरसायलान के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि दानपत्र निरस्त होने पर ही घोषणा खातेदारी का दावा

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

लाया जा सकता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जाति पर लागू नही होता है। रिति रिवाज की प्रथा लागू होगी रिति रिवाज मे पुत्रीयो को कोई अधिकार प्राप्त नही है। रजिस्टर्ड दानपत्र राजस्व न्यायालय निरस्त नही कर सकता है। आर.आर.टी 2016 (2) पृष्ठ संख्या 791 की नजीर प्रस्तुत की, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 की नजीर प्रस्तुत की है। सायला का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे। सायला के वकील ने जबाबी बहस मे कथन किया कि गैरसायला की ओर से आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र दावा मे पेश किया था जो खारिज किया जा चुका है। इस पूरे क्षेत्र मे ऐसी कोई रूढी नही है, जहॉं अनुसूचित जनजाति की जमीन मे पुत्रीयो को हिस्सा नही मिलता हो बल्कि अनुसूचित जनजाति की जमीन मे पुत्रीयो को हिस्सा मिलता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे सलग्न ग्राम सिधनिया की नकल जमाबन्दी सम्वत 2009–12 एवं 2034–37 के साबिक ख0न0 398, 405 मिन, 406, 407, 408, 400, 401, 6/674, 6/681, 6/691, 52, 57, 84, 96, 102, 115, 125, 131, 186 मिन, 287, 190 मिन, 189 मिन, 190, 211, 223, 224, 255, 256, 276, 521, 246, 314, 315, 298, 297, 368, 378, 506, 507, 570, 573, 609, 622, 616, 617, 618, 595, 573, 528, 529, 518, 525, 579, 578, 586, 594, 615, 624, 625, 249, 250, 339, 622, 617, 573, 566, 28, 213, 520, 521, 368, 569, 570, 499, 500, 501, 663/1, 664, 665, 666/1, 666, 81, 82, 85, 397, 399, 404, 402, 414, 493, 495, 497, 496, 495/2, 258, 258/1 मे खातेदारी सायला के बुजुर्गान के नाम रही है। घोषणा खातेदारी का दावा पेश किया गया है, पैतृक सम्पत्ति मे खातेदारी के अधिकार मूल दावे मे तय होने है। तब तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने से वादबहुलता रूकेगी। अतः सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित पाता हूँ।

उक्त विवेचन के आधार पर सायला का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। गैरसायलान को दावा के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम सिधनिया की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 83, 84, 57, 80, 81, 82, 115, 162, 163 मे वर्णित आराजीयात मे गैरसायलान न0 2 के नाम दर्ज हिस्से मे रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे, व रहन व्यय नही करे।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

13/2/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.03.04 15:38:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: